जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 05/2016 श्री गुरतेज सिंह घुमान निवासी 11 जी हारणीय वाया चूनावढ़, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

31.03.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरतेज सिंह घुमान उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरतेज सिंह घुमान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. कि गांव 11 जी छोटी (हारणीय) व गांव 6 एच छोटी (डबवाली) श्रीगंगानगर में एलपीजी गैस उपभोक्ताओ की सूची जिनको मैसर्स लक्ष्य गैस एजेन्सी केसरीसिंहपुर से आपूर्ति होती है।
2. कि नये गैस तथा डीबीसी करवाने के लिए यह दस्तावेज आवश्यक है।
3. कि नये गैस तथा डीबीसी करवाने के लिए शुल्क का ब्योरा जो उपभोक्ता से वसूल किया जाता है।
4. 1 अप्रैल 2015 से आज तक जिले में कार्यरत गैस एजेन्सीयों पर उपभोक्ताओ से निर्धारित से अधिक राशि वसूले जाने के कारण जिला रसद विभाग द्वारास की गई कार्यवाहीयों का ब्योरा।
5. गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओ को देय सुविधाओ का ब्योरा व उनका शुल्क (जो सेवा निशुल्क है उनकी भी जानकारी दें)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी श्री गुरतेज सिंह घुमान द्वारा यह अपील प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाक राज0 जयपुर को प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा पत्र दिनांक 01.01.2016 से क्षेत्राधिकार के अधिकार पर इस कार्यालय को अन्तरित की गई। अपील इस कार्यालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को सुनवाई के लिए रजि0 नोटिस भिजवाया गया किन्तु अपीलार्थी उपस्थित नही आया।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर अपना प्रतिवेदन सं0 300 दिनांक 19.01.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया किया गया है कि आवेदक आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 10.11.15 को प्राप्त हुआ था आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दू सं0 1 से 3 व 5 की सूचना लोक सूचना अधिकारी सेल्स आफिसर (एलपीजी) एचपीसीएल लि0 डीजल सैड (एचपीसीएल) भगत की कोठी जोधपुर से संबंधित होने के कारण आवेदक का मूल आवेदन पत्र पत्रांक 4616 दिनांक 10.11.15 को ही संबंधित लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए पत्र की प्रति क्रमांक 4617 दिनांक 10.11.15 से बिन्दू संख्या 4 की सूचना प्रार्थी द्वारा जिस प्रारूप में चाही थी उनके कार्यालय में संधारित नही होने के कारण आरटीआई की धारा 2च के अनुसार उपलब्ध नही करवाई जा सकती है के संबंध में आवेदक को समयावधि में सूचित कर दिया गया था अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त फरमाई जावे।

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र संख्या 4616 दिनांक 10.11.15 से अपीलार्थी का आवेदन पत्र सेल्स आफिसर (एलपीजी) एचपीसीएल लि0 डीजल सैड (एचपीसीएल) भगत की कोठी जोधपुर को धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर पत्र सं0 4617 दिनांक 10.11.15 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
5/16

A3/2

आपके द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 3 व 5 की सूचनांए उक्त विभाग से संबंधित है। अतः इन सूचनांओ के लिए उक्त विभाग से सम्पर्क करे। बिन्दू संख्या 4 की सूचना जिस प्रारूप में मांगी गई है उस प्रारूप में इस कर्यालय में संगलित नही है। राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2"च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16)प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16–12–11 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में "क्यों" प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है। रिट पेटीशन संख्या 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नो के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। चाही गई सूचना प्रश्नोतर के रूप में नही होनी चाहिये चूंकि खोजकर खोज गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता। सूचनांए एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है जो राज0 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) व 7(9) के तहत देय नही है।

जहां तक बिन्दु 1 से 3 व 5 की सूचनाओ का संबंध है के बारे में संबंधित लोक सूचना अधिकारी, सेल्स आफिसर (एलपीजी) एचपीसीएल लि0 डीजल सैड (एचपीसीएल) भगत की कोठी जोधपुर को दिनांक 10.11.15 को निश्चित अवधि में ही सूचना उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें भेजा जा चुका है। अगर अपीलार्थी को बिन्दु सं0 1 से 3 व 5 की सूचनांए उपलब्ध नही हुई है या उक्त सूचनाओ से किसी प्रकार की कोई असन्तुष्टी हो तो वह संबंधित अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने के लिए स्वतन्त्र है। इसलिए बिन्दु सं0 1 से 3 व 5 की सूचनाओ के संबंध में यहां से किसी प्रकार का कोई विचार नही किया जा सकता।

जहां तक बिन्दु सं0 4 की सूचना का संबंध है वह सूचना जिस प्रारूप में चाही गई है उस प्रारूप में जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में संकलित नही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5/16 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

AB/3

करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 10.11.2015 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर